*वित्तीय क्षेत्र में कायम रखने योग्य संवृद्धि**

रघुराम जी. राजन

कोयंबतूर कृष्णराव प्रह्लाद का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। नौ बच्चों में वही एक ऐसे थे जिन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक से इतर में भौतिकशास्त्र में डिग्री प्राप्त की और आईआईएम, अहमदाबाद में प्रथम स्नातक बैच के सदस्य के रूप में गये। उसके बाद उन्होंने 1975 में हारवर्ड बिजनेस स्कूल से डीबीए किया। प्रह्लाद ने अपने अकादमिक कैरियर की शुरूआत 1977 में मिचिगन विश्वविद्यालय से की और 1990 में उन्होंने गैरी हैमेल के साथ संयुक्त रूप से हारवर्ड बिजनेस, रिव्यू में *'निगमों की प्रमुख क्षमता'* विषय पर आलेख लिखा। इस प्रभावशाली आलेख में, प्रह्लाद और हैमेल ने एडिथ पेनेरास के कार्यों को आधार बनाते हुए जिन्होंने सबसे पहले किसी फर्म की खास क्षमताओं के महत्व पर ज़ोर दिया था, इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि कारपोरेट कार्यपालकों को ऐसी खास क्षमताओं की 'पहचान करनी चाहिए, उन्हें उत्पन्न करना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए जो संवृद्धि को संभव बनाती है।'

प्रह्लाद और हैमेल ने 1994 में अपनी पुस्तक *'भविष्य की स्पर्धा में'* इस बात का विश्लेषण किया कि किस प्रकार से आईबीएम जैसे बाज़ार के लीडरों ने ऐप्पल जैसे नवोन्मेषी उभरते सितारों के समक्ष अपनी ज़मीन खो दी - आईबीएम पर्सनल कंप्यूटर का भविष्य देख पाने में नाकाम रहा क्योंकि उसने अपना सारा ध्यान मेनफ्रेम कारोबार में लीडरशिप बनाए रखने पर लगा दिया था। भारत के लिए प्रह्लाद का सबसे महत्वपूर्ण लेखन उनकी 2005 में लिखी गई पुस्तक *'समाज के निचले तबके का भाग्यः लाभ के माध्यम से गरीबी उन्मूलन'* थी जिसमें उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि कारोबारी घराने किस प्रकार से गरीब से गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संवृद्धि को क़ायम रख सकते हैं। वस्तुतः जितना शब्द 'प्रमुख क्षमता' महत्वपूर्ण बन गया है उससे कहीं ज्यादा 'समाज का निचला तबक़ा (बाटम ऑफ द पिरामिड)' शब्द आम लोगों में घर कर गया है। उन्हें उनके जीवनकाल में अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान यह है कि उनके कार्यों का प्रभाव बना हुआ है।

मेरी मुलाक़ात सी.के. प्रहलाद से तब हुई थी जब मैं शिकागो विश्व विद्यालय में था। उनकी बड़ी शोहरत और व्यापक मिलने-जुलने वालों के बावजूद वे मुझसे मिले। वे हमेशा ज़मीन से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे, और गज़ब के अंतर्दृष्टा थे। वे भारत के बारे में बहुत चिंतित रहते थे और उन्होंने यहां दिल खोलकर समय और पैसा खर्च किया ताकि वे यहां बदलाव पैदा कर सकें। आप में से कई लोगों ने उनके द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया होगा जो उन्होंने भारतीय कारोबार की प्रथा को बेहतर बनाने के लिए आयोजित किए थे। उनका मानना था कि यदि हम भारतीय दूसरे नंबर पर रहे तो हमारी गिनती किसी में नहीं होगी, और यहां कुछ व्यवसायियों ने उनके संदेश को दिल से लिया और उसके अनुरूप कार्य करके दिखाया। हमें एक साथ अनुसंधान करने का अवसर कभी नहीं मिला, लेकिन हमने संयुक्त रूप से 2009 में उस समय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें अन्य उपायों की वकालत करने के साथ-साथ भारत में एक विशिष्ट पहचानपत्र लाए जाने का तीव्र प्रयास करने के लिए लिखा गया था। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री द्वारा विशिष्ट पहचानपत्र प्राधिकरण की स्थापना करने में हमारी छोटी सी भूमिका रही थी, जिसके प्रमुख नंदन नीलेकणि थे।

एक प्रकार से यदि सोचें तो भारत को युनिवर्सल स्तर पर विशिष्ट पहचान देने में नंदन के भारतीय विशिष्ट पहचानपत्र प्राधिकरण ने कितना कार्य किया है, और यदि इसके प्रयोग को सीमित किया जाता है तो यह बहुत दुःख की बात होगी। अन्य देशों ने जैसे अमरीका ने विशेष पहचानपत्र के रूप में सामाजिक सुरक्षा संख्या का उपयोग किया है जिसपर निजताभंग होने का कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया गया है। विश्व के अनुभवों से सीख लेते हुए हमें यह देखने की ज़रूरत है कि विशिष्ट पहचानपत्र के महत्व को कम आंके बिना किस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के सरोकार को पूरा किया जा सकता है। विशिष्ट पहचान अनेक प्रकार से आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दे सकती है जिससे विशेष रूप से समाज के निचले तबक़े के लोगों को फायदा पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए विशिष्ट पहचानपत्र होने से गरीब और युवा भविष्य में अपने अच्छे नाम की ज़मानत पर न केवल ऋण पा सकेंगे बल्कि इससे रेगुलेटर को यह आसानी होगी कि वह किसी व्यक्ति को बेशी ऋण दिए जाने से रोकने के लिए उधारदाता से यह कह सकता है कि वह उधारकर्ता के पहचानपत्र की रिपोर्टिंग साख-ब्यूरो को करे। आज, छल-कपट वाले उधारदाता बेशी-उधारी के विरूद्ध बने विनियमों को केवल उधारकर्ता के नाम और पते अलग-अलग बताते हुए नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसी प्रकार, सरकार ने भी विशिष्ट पहचानपत्र का इस्तेमाल विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया है ताकि एक ही लाभार्थी उसका फायदा दो बार न उठा सके और दुर्लभ धन अत्यंत गरीबों तक आसानी से पहुंच सके। मेरे विचार से सी.के. की हमसे यह इच्छा होगी

* डॉ रघुराम् जी. राजन, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 18 सितंबर 2015 को चौथे सी.के. प्रह्लाद स्मृति व्याख्यान में दिया गया भाषण।

कि हम विशिष्ट पहचानपत्र के कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरा भी वही मानना है जो सी.के. का था कि भारत आज से कहीं ज़्यादा कामयाब और प्रभावी बन सकेगा। सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे के मुक़ाबले में हम कारगर तरीके से स्पर्धा कैसे कर सकते हैं? क्या हमें एक राष्ट्र के रूप में अपनी प्रमुख क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत है? मैं इस बारे में कारोबार की दृष्टि से बोलने के बजाय एक केंद्रीय बैंकर के नज़रिये से बात करूंगा।

मैं सबसे पहले तेजी से अपना मानक वाक्य कहूंगा: *आगामी नीतिगत वक्तव्य में ऐसे किसी भी कार्य के संकेत के लिए जो हम करना चाहेंगे, कृपया हमारे पिछले नीतिगत वक्तव्य में दिए गए दिशानिर्देशों को पढ़ें। मैं यह उदधृत करना चाहता हूँ कि : 'अत्यधिक अनिश्चितता का समाधान आगामी महीनों में कर लिया जाएगा, साथ ही हाल के महंगाई के बने रहने वाले संभावित दबावों को भी, मानसून पूरी तरह से गुज़र जाने दीजिए तथा संभावित फेडरल रिज़र्व की कार्रवाई संपन्न होने दीजिए। चूंकि रिज़र्व बैंक को काफी हद तक इस बात का इंतज़ार है कि पिछली कार्रवाइयों का कितना प्रसारण हुआ है, उसके बाद वह उसमें पैदा होने वाली और गुंजाइश पर निगरानी रखेगा, 'मेरे कहने का ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है कि यह आगे के दिशानिर्देश हैं, और कृपया ऐसा कोई अर्थ न निकालें जो हमारे कहने का अभिप्राय न हों'।*

यदि हम आज चारों और विश्व पर नज़र डालें तो कहीं भी तस्वीर सही नहीं दिखाई दे रही है। औद्योगिक राष्ट्र अभी भी, कुछ अपवादों को छोड़कर, विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे ब्रिक्स के साथी राष्ट्र गंभीर समस्याओं से गुज़र रहे हैं। सच तो यह है कि भारत इस उथल-पुथल भरे समुद्र में अपेक्षाकृत एक शांत द्वीप के समान है। प्रश्न यह है कि इसमें अलग क्या है और हम इस शांति को बनाए रखना कैसे सुनिश्चित कर सकेंगे?

ब्राज़ील से सबक

शायद ब्राज़ील से हमें अच्छा सबक़ हासिल हो सकता है। अभी कुछ वर्ष पहले पूरा विश्व इस देश के बढ़ते लोकतंत्र के प्रयासों, उसके तीव्र आर्थिक विकास और असमानता को कम करने में बृहत् स्तर पर उसकी कोशिशों के गुणगान कर रहा था। इस अर्थव्यवस्था ने 2010 में 7.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है और तेल के एक बड़े भंडार की खोज हुई है, जिसे राष्ट्रपति ल्यूला ने 'लाटरी टिकट जीतना' से अभिहित किया है। फिर भी इस वर्ष उसकी विकास दर 3 प्रतिशत गिर गई है और उसका कर्ज जंक स्तर पर पहुंच गया है। आखिर ऐसा गलत क्या घट गया?

ऐसा कहा गया है कि ब्राज़ील ने बड़ी तेजी से विकास करने का प्रयास किया था। यह जो 7.6 प्रतिशत की वृद्वि हुई थी वह विश्व में वित्तीय संकट के बाद अत्यधिक प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने की वजह से थी। न्यूयार्क टाइम्स का कहना था कि अपनी उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने की कोशिश में केंद्रीय बैंक पर ब्याज-दर घटाने का दबाव बनाया गया, जिसने ऋण के अपव्यय को बढ़ा दिया और ग्राहकों पर बोझ अत्यधिक बढ़ गया और वे अब उसकी चुकौती के लिए संघर्ष कर रहे हैं[1]। इसके अलावा, ब्राज़ील सरकार ने विकास बैंक को बहुत ज़्यादा निधि प्रदान कर दी और कारपोरेशन्स का रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करा दिया। कुछ उद्योगों को कर विभाजित करके रियायत दी गई जबकि गैसोलीन और बिजली की कीमतों पर नियंत्रण लगा दिया गया, जिसके कारण सरकारी क्षेत्र की फर्मों को भारी नुकसान हुआ। पेट्रोब्रास जो तेल की राष्ट्रीय कंपनी है, जिसे तेल की ड्रिलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करने की ज़रूरत थी, इसके बजाय वह भ्रष्टाचार के घोटाले में फंस गई। यहां तक कि सरकारी पेंशन ने इस छेद को और बड़ा कर दिया, बजट घाटा बढ़ता गया, और उसे कम करने के बारे में राजनैतिक सहमति नहीं बन पाई।

क़ायम रखने योग्य वृद्धि की दिशा में

जहां ब्राजीलियन प्राधिकारी इस स्थिति से निपटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमें इस अनुभव से प्राप्त सबक़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। विकास को सही मायने में हासिल किया जाना चाहिए। यह संभव है कि प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से तेजी से विकास प्राप्त कर लिया जाए, जैसाकि हमने 2010 और 2011 में किया था, जिसका ख़मियाज़ा हमें यह भुगतना पड़ा कि ऊंची महंगाई दर, बड़ा घाटा और 2013 तथा 2014 में विकास की धीमी दर। नि:संदेह भारत आज पहले जैसी हालत में नहीं है। किंतु चूंकि विश्व अब शरण लेने योग्य स्थान नहीं रहा है, इसलिए हमें अपनी मौजूदा सुधार को मज़बूत बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा और उसे अधिक क़ायम रखने योग्य पायदान पर रखना होगा और मौद्रिक नीति भी वहीं तक समायोजित करेगी जितनी कि गुंजाइश होगी, लेकिन हम क़ायम रखने येाग्य विकास की क्षमता को उस स्तर तक तभी बढ़ा पाएंगे जब हम सरकार तथा रेगुलेटरों द्वारा घोषित सुधार को कार्यान्वित करना जारी रखेंगे। इसका अभिप्राय कारोबार करने के लिए वातावरण को मज़बूत बनाना तथा वित्त की उपलब्धता को विस्तार देना है और तब जाकर हमारी कंपनियां अपनी प्रमुख क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए प्रमुख कार्य महंगाई को कम रखना है, न कि केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी ताकि हमें सहज सांकेतिक ब्याज दर प्राप्त हो सके जो न केवल बातूनी उधारकर्ताओं

[1] 'जैसे ही तेज़ी घूमिल हुई, ब्राजीलियन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि गलती कहां हुई' साइमन रोमेरो, न्यूयार्क टाइम्स, 11 सितंबर 2015।

को बल्कि सीधे-साधे बचतकर्ताओं को भी संतुष्ट कर सकेगा। हमें बैंकिंग प्रणाली की दबावग्रस्त आस्तियों का भी सफाया करना पड़ेगा ताकि वह विकास के लिए दुबारा धन का स्रोत सिद्ध हो। जहां हमें इस बात का एहसास है कि उद्योग को क्या कठिनाइयां हैं वहीं हम इस वातावरण को सुधारने के लिए और अधिक परिश्रम करेंगे। भारत को परहेज़ करना होगा - लक्ष्य बनाकर प्रोत्साहन धन देने हेतु विशेष ब्याज दर के निर्धारण की वकालत करने से, अतिरिक्त कर-विभाजन तथा संरक्षण, निदेशित ऋण दिलवाने से, सहायता एवं सब्सिडी देने से, ये सब ऐतिहासिक रूप से उद्योग में गैर-स्पर्धात्मक सिद्ध हुए हैं, सरकार द्वारा सीमा से अतिरेक करके कार्य करने की स्थिति पैदा हो जाती है और देश अन्य राष्ट्रों के बीच अधिकारपूर्ण हैसियत प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता है।

विश्वास

प्रधानमंत्री ने पिछले महीने उद्योगपतियों और बैंकरों के साथ बैठक में कहा था, कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है, कि कारोबार को इस बात में यकीन रखना होगा कि राष्ट्र में कारोबार करने की संभावनाएं एवं अवसर अपार हैं और उनमें जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए जिससे प्रतिफल या कमाई पैदा हो सके। कोई भी राष्ट्र स्वयं के प्रति विश्वास के बिना सफल नहीं हो सकता - मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम इस बात पर गैर-ज़रूरी तौर पर विश्वास करें कि हम आंतरिक रूप से अन्य सभी राष्ट्र से बेहतर हैं किंतु हमारे लोगों में, हमारी आबादी, हमारे बृहत् बुनियादी सुविधा में निवेश के अवसरों तथा बड़े पैमाने पर हमारे लोगों की क्षमताओं को देखते हुए यह विश्वास जगा है कि इतिहास का रुख हमारी ओर होनेवाला है हालांकि भारतीय कारोबार को पूर्व में सार्वजनिक अधिकारियों की भूल-चूक की वजह से ठेस पहुंची है लेकिन उसके बावजूद उसे आशान्वित रहना होगा। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे-जैसे कारोबार सरकारी जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोगों पर कारोबार को आसान बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के लिए दबाव डालेगा, हम उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र के परिदृश्य के लिए हम खास क्या कर रहे हैं और इससे बेहतर हमें क्या करने की आवश्यकता है? अब मैं इस बात पर आता हूँ, खासतौर से स्पर्धा और नवोन्मेष बढ़ाने पर बात करूंगा, उन लोगों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार करने की जो लोग इस समूह (क्लब) के नहीं हैं, संरचना में सुधार लाने के लिए हमें दबाव की स्थिति का समाधान करना होगा, और वित्तीय प्रणाली में मानव-पूंजी को सुदृढ़ बनाने की जरूरत होगी।

स्पर्धा और नवोन्मेष को बढ़ावा देना

हमें विकास को क़ायम रखने के लिए और अधिक स्पर्धा की आवश्यकता है, खासतौर से उद्योग में नए आने वालों के लिए जो इस प्रणाली में आ सकने की अच्छी स्थिति में हैं और अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन सके हैं। पिछले एक दशक में कोई नया प्रवेश नहीं हुआ है, इस वर्ष हम दो नए निजी बैंकों का प्रवेश देखेंगे तथा अगले वर्ष बड़ी संख्या में भुगतान बैंक तथा लघु वित्त बैंकों का प्रवेश होगा। इसके लिए लाइसेंस आवश्यकता आधार पर प्रदान किया जाएगा।

प्रणाली में पहले से बने हुए लोगों ने अनुचित स्पर्धा के भय के बारे में चिंता प्रकट क़ी है। स्पर्धा तभी अनुचित होती है जब वह बराबर के स्तर के मैदान में नहीं होती है। सच तो यह है कि नये आने वालों के पास वह सुविधाएं नहीं हैं जो पहले से मौजूद लोगों के पास हैं। हमें उम्मीद है कि नये आने वाले बैंक अपना नया रास्ता तलाश कर लेंगे और ग्राहकों को कम कीमत पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, इस प्रकार यह प्रक्रिया बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए उसे हिलाने और परिवर्तित करने की हैं।

रेगुलेटर्स स्वाभाविक रूप से अत्यधिक दकियानूस होते हैं। यह बहुत अच्छा है कि हम दकियानूस हैं अन्यथा इस अर्थव्यवस्था की गति को मुसीबत में जाने से रोकने के लिए कोई गतिरोधक न होता। किंतु हमें नवोन्मेष के रास्ते में रुकावट नहीं बनना है। एक चीनी कहावत हैः 'नदी को पार करते हुए पैर के नीचे पड़ने वाले पत्थरों को अवश्य महसूस करो'। हमने प्रयोग का यही रास्ता अपनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा उदारता बरती है। उदाहरण के लिए नए प्रकार की बढ़ती हुई नवीन सेवाओं में ग्राहकों को तुरंत भुगतान की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने छोटे मूल्य के कार्ड भुगतान को बिना दो - बार प्रमाणन किए ही भुगतान की अनुमति प्रदान की है। जैसे-जैसे हमें और वित्तीय संस्थाओं को अनुभव प्राप्त होता जाएगा और नई प्रौद्योगिकी में सुरक्षा स्थापित हो जाएगी, तब हम और भी ढील दे सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारा दर्शन यह हैं कि संस्थाओं में नवोन्मेष, लिखतों और प्रथाओं की अनुमति तब तक दी जाती रहेगी जब तक उनसे किसी प्रकार का स्पष्ट खतरा न हो। एक बार हम उन्हें भलीभांति समझ लें, और वे उस आकार तक विकसित हो जाएं कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर लें, तब हम उनका गहन विश्लेषण करेंगे कि उनको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए।

इसी प्रकार हम व्युत्पन्नी बाज़ार में भी अधिक से अधिक सहभागिता की अनुमति दे रहे हैं - खासतौर से सटोरियों के माध्यम से - जिनके पास हेजिंग के लिए निहित जोखिम नहीं होते हैं। सटोरियों को भारत में बहुत अशुभ माना जाता है और प्रायः उन्हें बाज़ार में जोड़तोड़ करने वाला मानने का भ्रम होता है। ये दोनों अलग-अलग हैं। सटोरिया किसी लिखत में पोजीशन लेता है और जोखिम उठाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक निवेशक स्टाक में जोखिम उठाता

है। वे खास तरीके से हेजर्स के आवश्यक अन्य पक्ष के रूप में होते हैं। सटोरियों के बिना अधिकांश बाज़ारों में बहुत कम गहनता होगी और मूल्य बिखरे हुए होंगे। बाज़ार में जोड़तोड़ करने वाले (मेनिपुलेटर्स) बाज़ार की नाज़ुक अवस्था में अपनी पसंदीदा दिशा में तेजी से लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं जो सटोरियों के बिलकुल विपरीत होता है जो केवल बाज़ार का वही पक्ष लेकर काम करते हैं जिसमें वे समझते है कि उसमें पैसा बना पाएंगे। प्रतिभूति बाज़ार को हम रेगुलेट करते हैं, हम उसमें अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं जबकि जोड़तोड़ को बढ़ावा नहीं देते हैं।

इसे और साफ शब्दों में यूं कह सकते हैं कि हम केवल उन्हीं रेगुलेशन में सुधार करने पर फोकस कर रहे हैं जो एक सुदृढ़ कारोबारी वातावरण बनाने के लिए ज़रूरी हैं - ऐसे रेगुलेशन पर फोकस है जो चीजों को सहज बनाएं न कि परंपरा से चले आ रहे रेगुलेशन - साथ ही उन बातों के प्रवर्तन को बढ़ा रहे है जो नियम-पुस्तिकाओं में दी गई हैं। हम भरोसा अवश्य करेंगे लेकिन हम परखेंगे भी। इस प्रयोजन से हम अपने समस्त रेगुलेशंस को वर्ष के अंत तक सुव्यवस्थित कर लेंगे और एक नया मास्टर दस्तावेज बनाएंगे जिसे इंटरनेट पर रखा जाएगा और संशोधन के समय उसे तत्काल अद्यतन बनाया जाएगा, ताकि कोई भी रेगुलेटेड संस्था कार्रवाई करते समय उसे तेजी से समझ सके।

बाहरी व्यक्तियों सहित

जैसे-जैसे भारत विकास कर रहा है, वित्तीय क्षेत्र के सहभागी भीतर सहभागियों के साथ-साथ बढ़ते जाएंगे क्योंकि प्रत्येक देश में प्रारंभिक चरणों में आर्थिक गतिविधियों पर भीतरी सहभागियों का ही वर्चस्व रहता है। बाहरी और नये प्रवेश करने वालों को वित्तीय क्षेत्र में पहुंच बनाने की आवश्यकता होगी, आसानी से मिलनेवाली संविदाएं चाहिए जिसपर वे भरोसा कर सकें और विवाद के निपटान की प्रणाली पारदर्शी तथा बताए जाने योग्य हो।

बात की शुरूआत उनकी पहुंच बनाने से करते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को वित्तीय प्रणाली में सहभागिता देनी होगी जो अभी तक उससे वंचित हैं। प्रधान मंत्री की जन धन योजना ने ऐसी बड़ी आबादी के लिए खाते खोल दिए हैं जो उससे वंचित थे। सरकार ने उन खातों के साथ और भी चीजें जोड़ दी हैं जैसे दुर्घटना तथा जीवन बीमा और छात्रवृत्ति, पेंशन तथा सब्सिडी लाभ को उन खातों में सीधे ही अंतरित करने की सुविधा दी है। हमें कारोबारी प्रतिनिधि, भुगतान बैंक, विक्रय-बिंदु मशीन की सहायता से उन बैंक खातों तक पहुंच को आसान बनाना होगा ताकि उसका उपयोग वे बार-बार कर सकें। गृहस्थों के लिए वित्तीय समावेशन के हमारे अगले कदम का उद्देश्य आसानी से भुगतान कर पाना, नकदी हासिल करना और नकदी जमा करने की सुविधा, तथा बड़े पैमाने पर सुरक्षित बचत लिखतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा।

हमें छोटे उत्पादकों को उधार देने की प्रक्रिया आसान बनानी होगी, चाहे वे किसान हों स्वयं-सहायता समूह हों या कारोबारी हों। इसके लिए हमें ऋण-सूचना ब्यूरो, संपार्श्विक-रजिस्ट्री तथा ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्य-प्रणाली में सुधार करना होगा - विडंबना यह है कि ऋण तभी आसानी से मिल पाता है जब ऋणदाता को बार-बार आश्वस्त किया जाता है कि उसका पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए ऋण की आसानी से उपलब्धता का बुरा नतीजा यह भुगतना पड़ सकता है कि उसकी चुकौती न हो। शायद संपार्श्विक के लिए सबसे अधिक मूल्यवान भूमि होती है। हमें पूरे देश में भूमि की बेहतर डिजिटल मैपिंग तथा स्वामित्व का स्पष्ट अभिलेख रखने की ज़रूरत है ताकि भूमि का इस्तेमाल संपार्श्विक के रूप में और प्रभावी तरीके से किया जा सके।

उद्योग से जुड़ने वाले नये लोग या बाहरी लोग इस बात पर केवल भरोसा नहीं करते हैं कि उनके संबंध बनाने से काम हो गया, बल्कि आसानी से नीलामी तथा संविदा के निष्पादित होने पर, जिसका प्रवर्तन निष्पक्ष रूप से अफसरशाही तथा न्यायपालिका करे। इस दिशा में संसाधनों के आबंटन के तरीकों जैसे खदान और स्पेक्ट्रम की गड़बड़ी को दूर करने के लिए, और अफसरों तथा न्यायपालिका द्वारा निर्णय लेने में तेजी लाने में जो सुधार हुआ है वित्तीय उद्योग में सहभागिता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, हालांकि आने वाले समय में काफी कुछ करना होगा। किसी भी सुधार को संस्था के माध्यम से लाया जाना चाहिए ताकि सुधारकों ने जो देना चाहा है उसे उसी प्रकार लागू कर सकें।

अंतिम बात यह है कि उद्योग में नये आने वाले और बाहरी लोग अनुचित प्रथाओं से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। हम इसके लिए जो कर रहे हैं उसका एक उदाहरण है कि रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक परामर्श से एक उपभोक्ता अधिकार का चार्टर विकसित किया है। बैंक के बोर्डों से कहा गया है कि वे ऐसी संरचना स्थापित करें जिससे उन अधिकारों की रक्षा हो सके। इस प्रकार की संरचना लागू होने के कुछ समय बाद रिज़र्व बैंक सर्वोत्तम प्रथाओं एवं रेगुलेशंस की यदि आवश्यकता हुई तो समीक्षा करेगा। इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री तथा बैंक की बुनियादी सुविधाओं जैसे शाखाओं और एटीएम के उचित संचालन की जांच को और बढ़ाएगा।

दबाव का समाधान

मुक्त उद्यमिता प्रणाली में असफलता की पूरी संभावना होती है। प्रणाली को एक कारगर समाधान की ज़रूरत होती है कि वह वित्तीय असफलता के बाद भी उद्यमिता के बचे हुए मूल्य को क़ायम रख सके।

इसमें दो महत्वपूर्ण तत्व निहित हैं, एक है तीव्र समाधान और दूसरा, इस बात का अनुमान कि हुए नुकसान को किस प्रकार से संविदाओं में बांटा जाए। उदाहरण के लिए, कुछ बाहरी लोग उधार इसलिए देना चाहेंगे यदि वे यह विश्वास कर लें कि बुरे समय में उन्हें प्रवर्तकों के हितों के अधीनस्थ रखा जाएगा। इसलिए हमें शीघ्र से शीघ्र एक बैंकरप्सी कोड चाहिए जो दावों के प्राथमिकता ढांचे को बनाए रखते हुए दबाव की स्थिति का समाधान कर सके, और मुझे खुशी है कि वित्त मंत्रालय इस प्रकार का एक कोड शीघ्र ही लाने जा रहा है। बैंकरप्सी कोड ऋणदाताओं को दबाव को समाप्त करने की अधिक क्षमता प्रदान करेगा और कारपोरेट बाण्ड बाज़ार को मज़बूत बनाने में सहायता करेगा जो बुनियादी सुविधाओं के वित्तपोषण के लिए ज़रूरी है।

इस बीच हमें बैंकिंग प्रणाली में दबाव से जूझने के लिए रास्ते तलाशने होंगे। रेगुलेटरी सहिष्णुता अपनाने से रिज़र्व बैंक केवल अशोध्य ऋणों के वर्गीकरण से संबंधित नियमों को आसान बना देता है जो बैंकों के लिए केवल 'ऋण देने और ऋण देने का दिखावा करने' का मार्ग सहज बनाता है। यह कोई समाधान नहीं है। चूंकि अन्य कोई भी हितधारक जैसे - प्रवर्तक, टैरिफ-प्राधिकारी, कार-प्राधिकारी आदि का इस समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं होता है, वास्तविक परियोजना लटक जाती है और काफी हद तक असंभाव्य बन जाती है। इधर, विश्लेषक बैंक के तुलनपत्र एवं पुनःवर्गीकृत आस्तियों के बढ़ जाने पर काफी संदेह करने लगते हैं। साथ ही, कुछ बड़े प्रवर्तक बैंकर के इस भय का कि आस्ति कहीं अनर्जक न बन जाए, फायदा उठाने लगते हैं और बैंकर से अनावश्यक रियायत मांगते हैं और वे नहीं चाहते कि उनका जो पैसा लगा है उसमें किसी प्रकार की कमी आए। इसलिए रेगुलेटरी सहिष्णुता यह सुनिश्चित करती है कि समस्या तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि समस्या से निपटने के लिए प्रावधान राशियां बहुत ज़्यादा न रख दी जाएं - और ऐसी स्थिति में भी और अधिक सहिष्णुता की ज़रूरत पड़ेगी।

सहिष्णुता का आशय बैंक के स्वामी (जिसमें सरकार भी शामिल हो सकती है) को सेवा न प्रदान करना, जो प्रारंभ में छोटी समस्या झेलने के बजाय और सुधारात्मक कार्रवाई करने का मौका दिए जाने के बजाय अचानक बड़ी समस्या का सामना करने लगते हैं जिन्हें और आगे नहीं ढकेला जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणों के पुनःवर्गीकरण के लिए दी गई सहिष्णुता को समाप्त कर दिया है। इसलिए अब पुनःवर्गीकृत ऋणों को अनर्जक ऋण माना जाएगा। हालांकि रिज़र्व बैंक ने इस बात को आसान बनाया है कि दबावग्रस्त परियोजनाओं की पहचान कैसे की जाए और उनके साथ कैसे निपटा जाए। दूसरे शब्दों, सहिष्णुता को समाप्त करते हुए हमने उनके लिए लचीला रुख अपनाया है जो दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान जल्दी करके उनका समाधान ढूंढ लेते हैं - इस संबंध में बड़े ऋणों के लिए प्रारंभिक चेतावनी का डाटाबेस, संयुक्त ऋणदाता मंच, रणनीतिक ऋण पुनर्रचना प्रक्रिया, 5/25 पद्धति, आदि को बैंकरप्सी कोड की अनुपस्थिति में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों का उपलब्ध कराए गए लचीले मानदंडों के रूप में देखा जाना चाहिए, साथ ही समस्या से निपटने के लिए और भी शीघ्रता करते हुए अनुशासन लाया जाना चाहिए।

स्वाभाविक है कि कुछ लोग हमारे पुनर्रचना के तरीके की आलोचना करेंगे। एक सज्जन ने एक दिन मुझसे पूछा कि जब वह ऋण कि अदायगी नियमित रूप से कर रहा था तब वहीं पर दूसरा स्पर्धी जो फर्म के पैसे का ज़्यादा बिल दिखाकर सफाया कर गया उसका ऋण बट्टे खाते इसलिए डाला जा रहा कि वह ऋण नहीं चुकाया जा सकेगा। लेकिन यहां वास्तविकता यह है कि फर्म के समस्याग्रस्त होने के अनेक कारण हैं, जिनमें से अधिक-बिल दिखाना एक कारण है। निःसंदेह, जहां भी संभव हो, प्रवर्तकों को चाहिए कि वे पुनर्रचना की लागत के भागीदार बनें। लेकिन पुनर्रचना प्रक्रिया का यह अर्थ नहीं है कि वह अपराध का समाधान है। कारोबार से पैसे का सफाया करना ऋणदाताओं तथा निवेशकों के प्रति अपराध है जिसकी जांच, जांच प्राधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन अधिक-बिल देने का भूल माप इस बात का कारण नहीं होना चाहिए कि एक नई परियोजना पर लात मारकर उसे बेकार कर दिया जाए और उसके कामगारों को चले जाने दिया जाए।

मानव पूंजी का विकास

देश को ऐसे खास वित्त कौशल वाले, अनेक पेशेवर लोगों की ज़रूरत है जो बड़ी वित्त आवश्यकताओं को देख सकें और आगे जिनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए आज बहुत सी हमारी परियोजनाओं के निर्णय बैंक द्वारा लिए जाते हैं जिसमें, एक ही प्रकार के परामर्शदाताओं की बात सुनी जाती है, जिसका मतलब यह है कि मूल्यांकन करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत ही कम स्वतंत्र विचारों को शामिल किया गया है। विडंबना यह है, परियोजना के प्रारंभ में जिस परामर्शदाता से सलाह ली गई थी, परियोजना खराब हो जाने पर भी उसी परार्शदाता को बुलाया जाता है। बैंकों के लिए ज़रूरत है कि वे इस प्रकार का कौशल आंतरिक रूप से रखें ताकि वे झुंड का हिस्सा बनने के लिए विवश न हों। यह समस्या अधिकांशतः सरकारी क्षेत्र के बैंक में है, यद्यपि निजी क्षेत्र के बैंक भी इससे अछूते नहीं हैं।

इसके लिए सबसे शीघ्र तरीका है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंक बाज़ार इस प्रकार की प्रतिभाओं की अल्प समय में भर्ती करें। जहां इसमें यह चुनौती है कि सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उच्च स्तर से कार्रवाई करनी होगी, वहीं निचले स्तर पर

यह आवश्यक होगा कि बाज़ार के हिसाब से वेतन दिया जाए। इसपर जो खर्च आएगा वह इस बात की तुलना में बहुत छोटा होगा कि बैंकों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर निर्णय ले पाने में फायदा होगा।

निःसंदेह, सरकारी क्षेत्र में अधिकांश पदोन्नति भीतरी प्रतिभा से होनी चाहिए। साथ ही अन्य बैंकों से प्रतिभा उड़ा लेना इस प्रणाली में नगण्य प्रभाव का खेल होगा। इसलिए हमारे बैंकों को चाहिए कि वे स्टाफ को प्रशिक्षण देते हुए भीतरी तौर पर कौशल विकसित करें - साफ्ट-कौशल जैसे नेतृत्व में उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि जोखिम प्रबंधन क्षमता में कौशल पैदा करने की है।

हमारी विकासात्मक भूमिका में रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली में मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा। हमारी कुछ प्रशिक्षण इकाइयां जैसे कृषि और बैंकिंग महाविद्यालय और स्टाफ महाविद्यालय बैंकरों को महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कृषि उधारी तथा एमएसएमई-उधारी के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। हमारा उन्नत वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल) बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक वित्तीय तकनीकों जैसे परियोजना मूल्यांकन, संरचना तथा दबाव का समाधान एवं जोखिम प्रबंधन पर पाठयक्रम उपलब्ध कराएगा। बैंकों को ऐसी अन्य प्रकार की सुविधा के लिए अपने संसाधनों को एकजुट करना होगा या फिर कैफरल पर दबाव डालना होगा कि वह अपनी पेशकश को और विस्तार दे।

समापन

मेरी समझ से ये सब कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से क़ायम रखने योग्य विकास के लिए वित्तीय प्रणाली को तैयार किया जा सकता है। अपनी बात समाप्त करने से पहले एक आखिरी प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। जिस प्रकार से फर्मों में खास क्षमताएं हैं, क्या उसी प्रकार देश में भी खास क्षमताएं विद्यमान हैं?

शायद विद्यमान हैं। किंतु सरकारी प्राधिकारियों के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल है कि बड़े पैमाने पर पैरवी करने तथा इसमें दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों की गलतबयानी से उन क्षमताओं का स्वरूप क्या है। यदि हम यह कहें कि हम राष्ट्र की प्रमुख क्षमताओं पर फोकस करना चाहते हैं तो हर उद्योग यह सिद्ध करने के लिए बाहर आ जाएगा कि वे किस तरह इस विधेयक पर पूरी तरह खरे उतरते हैं - बिलकुल उसी तरह से जैसे आज प्रत्येक उद्योग हमें यह बताना चाहता है कि वे क्यों खासतौर से विशेष कर-लाभ या ब्याज संबंधी रियायत के हकदार हैं। याद रहे कि लाइसेंस परमिट राज स्पष्ट रूप से बना रहा क्योंकि कुछ उद्योगों का अन्य की तुलना में तथाकथित राष्ट्रीय हित में समर्थन दिया गया। अतः, यदि राष्ट के पास प्रमुख क्षमताएं मौजूद भी हों तब भी यह निर्धारित करना बहुत कठिन है कि वे क्षमताएं कौन सी हैं और बड़ी आसानी से गलत लोगों के निहित स्वार्थ को समर्थन मिल जाता है। बेहतर होगा कि एक सुकर वातावरण बनाने पर फोकस किया जाए और वातावरण में जो प्रोत्साहन की भावना है उससे क्षमताओं को पैदा होने दिया जाए - ठीक उसी प्रकार जिस तरह से देश ने तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा कोई खास प्रोत्साहन दिए बिना क्षमताएं विकसित हुई हैं।

अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। सी.के. प्रह्लाद का विचार था कि भारतीय कारोबार विश्व के अन्य देशों की ऊंचाइयों को छू सकता है और यही मेरा भी मानना है। लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने का आसान रास्ता नहीं होता है। जुगाड़ लगाकर या फिर किसी भी तरह से 'यहां वहां काम करने' की परेशानियां पूरी तरह से भारतीय तरीका है लेकिन यह कारोबारी वातावरण के लिए कठिन या असंभव तरीका बताया गया है। ऐसी चीजें शार्टकट या वंचन पैदा करती है, इनमें से कोई चीज अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता नहीं लाती है या फिर आर्थिक विकास को क़ायम रखने वाली नहीं है। जहां हमें कठिन परिस्थितियों में हमारे कारोबारी लोगों की उद्यमिता क्षमता का आदर करना चाहिए वहीं, हमारे लिए हितकर होगा कि हम वातावरण को बेहतर बनाएं। हमारा यही करने का प्रयास है।

इसके लिए संयम की ज़रूरत है। उभरते बाज़ारों की मौजूदा परेशानियां कई जटिल कारणों से पैदा हुई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है हम विकास की गति को वापस पाने के लिए अधीर हो रहे हैं और वित्तीय प्रोत्साहन देने के पुराने, एवं निष्प्रभावी तरीके पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हो सकता है ब्राजील ने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया होगा, चीन ने बहुत अधिक निवेश किया होगा। यह विश्व अत्यंत जटिल स्थान है। हम यह समझने की कोशिश करें कि हम तुलनात्मक रूप से बेहतर कर रहे हैं - वस्तुतः कई उद्योगों को कठिन दौर में समस्या इसलिए है क्योंकि निर्यात धीमा है या आयात में बहुत स्पर्धा है, न कि इसलिए कि घरेलू मांग अनावश्यक रूप से कमज़ोर है। हम उस बात की पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे जो हमारी सीमाओं पर घटित होता है, अन्यथा हम भी उसी प्रकार का जोखिम मोल ले लेंगे जो हमारे साथी उभरते बाज़ारों ने ले लिया है। हमें यह अनुशासन बनाए रखना होगा कि हम आवश्यक संस्थाएं बनाने की अपनी रणनीति पर टिके रहें और क़ायम रखने योग्य विकास के लिए नया मार्ग बनाएं जिसमें जुगाड़ की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए हमें कारोबार की परस्पर समझ और सहयोग की ज़रूरत होगी, न कि अधीर होने या तेजी से असंभव चीजों को हासिल करने का दबाव बनाने की। तभी हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी सही क्षमता को पहचान सकेंगे।

धन्यवाद।